प्रेस नोट 03.10.2020

जनपद मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा/निर्माण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं नगर मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03–10–2020 को नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत बन्धा रोड पर तमसा नदी तट स्थित ग्रीन लैण्ड की जमीन को कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण मकान क्रमशः **फैयाज अहमद तुलसी पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ तथा शमसाद अहमद पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ के दो–दो मंजिला रिहायशी मकान कुल अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ (1.5–1.5 करोड़)** रूपये के निर्माण को ध्वस्त कराया गया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 28–08–2020 को नगर मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेशोपरान्त तमसा नदी के किनारे बन्धे पर ही ग्रीन लैण्ड पर बनायी गयी अवैध निर्मित स्लाटर हाउस मालिक रफीक उर्फ टाईगर उर्फ बाबू कसाई पुत्र स्वं हाजी वकील निवासी पठानटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ, जो मुख्तार अंसारी माफिया गिरोह का सहयोगी है, को ध्वस्त कराया गया है। तमसा नदी के किनारे बन्धे पर ग्रीन लैण्ड की जमीन पर लोगों द्वारा माफिया गिरोह की सह पर अवैध पक्के निमार्ण किये गये है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय के आदेशानुसार करायी जा रही है।

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा टाप–10 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.10.2020 को थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा रतनपुरा से थाने का टाप–10 अपराधी अनुप गुप्ता पुत्र स्व0 मोहन गुप्ता निवासी रतनपुरा थाना हलधरपुर मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 390/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अनुप गुप्ता पुत्र स्व0 मोहन गुप्ता निवासी रतनपुरा थाना हलधरपुर मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03.10.2020 को थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान धनौली मोड़ के पास से मु0अ0सं0 447/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण रमेश पटेल पुत्र स्व0 सुख्खु पटेल निवासी काखभार थाना रौनापुरा जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर तथा शुभाष मौर्या पुत्र रामबदन मौर्या निवासी तेन्दुआरी थाना गोला जनपद गोरखपुर के कब्जे से

02 कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 448, 449/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्तगण जनवरी में हुए अदरक व्यवसायी से लूट में सामिल थे।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. रमेश पटेल पुत्र स्व0 सुख्खु पटेल निवासी काखभार थाना रौनापुरा जनपद आजमगढ़।
2. सुभाष मौर्या पुत्र रामबदन मौर्या निवासी तेन्दुआरी थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध तमंचा मय तीन अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.10.2020 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/20 धारा 323,504,506 भादवि0 व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त लीलाधर यादव पुत्र साधु यादव निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.10.2020 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान गुलजार सोनकर पुत्र कान्ता सोनकर निवासी चिरैयाडाह थाना घोसी मऊ के कब्जे से 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 810/20 धारा 272,273 भादवि0 व धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 20 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा नकुल निवासी महुआबारी, सुरेश, रामसनुज निवासीगण पटजीवा थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रामकिसुन निवासी चिरैयाडाह थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा अमन कुमार निवासी उमरी थाना रानीपुर, धमेन्द्र यादव निवासी दर्पण नारायणपुर थाना सरायलखंसी, मो0 रेयान, मो0 फैजान, समसाद, नदीम निवासीगण रधुनाथपुरा, शाहिद जमाल, इकबार मो0 आमिर, जफर अहमद, कलीम निवासीगण मुशीपुरा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रामविलास, हरिवंश निवासी जीवापार, अनुज निवासी जजौली थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा गंगा, रामअवध निवासीगण सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।